प्र.क.   निगरानी / 2014

प्रस्तुती दिनांक 16/10/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

R. 3731-PBR/14

श्री .... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 16-10-2014 को प्रस्तुत 666 16-10-2014 परीक्षक

1. राजेश पिता श्री बालमुकुन्द जायसवाल
2. श्रीमती राजश्री पति श्री राजेश जायसवाल

उपरोक्त सभी निवासी – 170, भगवानदीन नगर, इन्दौर (म.प्र.)

.... प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती मधु पति अनिल कुमार जैन
2. श्रीमती रेखा पति अशोक कुमार जैन

निवासी – ग्राम पिगडम्बर तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.)

......प्रतिप्रार्थीगण

सम्माननीय महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत

1. श्रीमान् संयुक्त कलेक्टर महोदय इन्दौर के आदेश क. 3250/क्यू/स्था/भू–अभि/दिनांक 22.10.2014 के पालन में राजस्व निरीक्षक श्री नरेश विवलकर द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक 11.06.2014 से असंतुष्ट और पीड़ित होकर निगरानीकर्ताओं का निगरानी आवेदन मय धारा 5 अवधि अधिनियम के आवेदन के मय शपथ–पत्र के समयावधि में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 3731—पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21—1—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी सीमाकंन प्रतिवेदन दिनांक 11—6—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इससे परिलक्षित होता है कि प्रकरण में अभी सीमाकंन आदेश पारित नहीं हुआ है । अतः आवेदकगण को सीमाकंन प्रतिवेदन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर विचारण न्यायालय में प्राप्त है । इस प्रकार यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीम्योच्योर होने से अग्राह्य की जाती है। (स्वदीप सिंह) **अध्यक्ष**	